



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 171-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023 (ASVINA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 सितम्बर, 2023

**संख्या 49 / जीएसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसमें, इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करना अपेक्षित है, के माध्यम से माल की प्रदाय करने वाले और उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य में संकलित आवर्त की राशि, जिससे ऊपर के प्रदार्यकर्ता को पंजीकृत होना दायी हो, से अनधिक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में और चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त रखने वाले व्यक्तियों को, उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :-

- (i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तरराज्यीय प्रदाय नहीं करेंगे;
- (ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल की प्रदाय नहीं करेंगे;
- (iii) ऐसे व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखना आपेक्षित होगा ;
- (iv) ऐसे व्यक्ति इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल की प्रदाय करने से पूर्व, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्या, अपने व्यवसाय के स्थान का पता और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें ऐसे व्यक्ति ऐसी प्रदाय करना चाहते हैं, सामान्य पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो सामान्य पोर्टल पर विधिमान्यकरण के अध्यधीन होगा;
- (v) ऐसे व्यक्तियों को खंड (iv) के अनुसार घोषित स्थायी खाता संख्या के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर एक नामांकन संख्या प्रदान की गई है;
- (vi) ऐसे व्यक्तियों को एक राज्य में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी;

- (vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल की प्रदाय तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो; और
- (viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को बाद में उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है, तो नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तिथि से बैद्य नहीं रहेगी।
2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2023 से लागू होगी ।

देविंदर सिंह कल्यान,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 27th September, 2023

**No. 49/GST-2.-** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby specifies the persons making supplies of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act and having an aggregate turnover in the preceding financial year and in the current financial year not exceeding the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 22 of the said Act, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act, subject to the following conditions, namely: —

- (i) such persons shall not make any inter-State supply of goods;
  - (ii) such persons shall not make supply of goods through electronic commerce operator in more than one State or Union territory;
  - (iii) such persons shall be required to have a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961);
  - (iv) such persons shall, before making any supply of goods through electronic commerce operator, declare on the common portal their Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961), address of their place of business and the State or Union territory in which such persons seek to make such supply, which shall be subjected to validation on the common portal;
  - (v) such persons have been granted an enrolment number on the common portal on successful validation of the Permanent Account Number declared as per clause (iv);
  - (vi) such persons shall not be granted more than one enrolment number in the State;
  - (vii) no supply of goods shall be made by such persons through electronic commerce operator unless such persons have been granted an enrolment number on the common portal; and
  - (viii) where such persons are subsequently granted registration under section 25 of the said Act, the enrolment number shall cease to be valid from the effective date of registration.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.